



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

CHHATTISGARH PUBLIC SERVICE COMMISSION, RAIPUR

प्रवेश पत्र / Admit Card



सहायक प्राध्यापक (उ. शि. विभाग) परीक्षा-2019 / ASSISTANT PROFESSOR(HIG. EDU. DEPT.) EXAM-2019

यह प्रवेश पत्र तभी मान्य होगा जब अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ निर्देश क्रमांक 4 के अनुरूप वैध फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की जाएगी। फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

अनुक्रमांक / ROLL NUMBER	जन्म की तारीख / DATE OF BIRTH	लिंग / GENDER	श्रेणी / CATEGORY	दिव्यांग / DIVYANG	भूतपूर्व सैनिक / EX-SERVICE MAN	मूल निवासी / DOMICILE
190211101108	08/Jul/1996	Female (महिला)	Scheduled Tribe (अनुसूचित जनजाति)	No (नहीं)	No (नहीं)	Chhattisgarh (छत्तीसगढ़)
आवेदन क्रमांक / APPLICATION NO. :	APH190304004183					 ASTHA TIRKEY 15-02-2019
अभ्यर्थी का नाम / Candidate's Name:	ASTHA TIRKEY					
EXAM CENTER DETAIL FOR GENERAL KNOWLEDGE OF CG परीक्षा केन्द्र (केन्द्र कोड) का नाम व पता/ Exam (Center Code) Center Name & Address			EXAM CENTER DETAIL FOR SUBJECT परीक्षा केन्द्र (केन्द्र कोड) का नाम व पता/ Exam (Center Code) Center Name & Address			 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर / Candidate's Signature
3010 / Pt. Girja Shanker Mishra Govt. Hr. Secondary School, Mahadev Ghat Road, Sarona Marg Baanstal Raipura, Khallari Chowk, Raipur (C.G.)			3012 / Prof. J.N. Pandey Govt. Multi Higher Secondary School, Nalghar Chowk, Raipur (C.G.)			

समय सरणी / Time Table

DATE & DAY OF EXAM	TIME OF EXAM	SUBJECT (CODE)	PAPER	PAPER CODE
05 Nov 2020 Thursday	10:00 AM TO 11:00 AM	GENERAL KNOWLEDGE OF CHHATTISGARH (28)	First	190228
06 Nov 2020 Friday	03:00 PM To 05:00 PM	Assistant Professor (Botany) (11)	Second	190211

विशेष निर्देश

- प्रत्येक विषय की ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को उस अनुक्रमांक की प्रविष्टि करनी है, जिससे वह "छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान" परीक्षा में सम्मिलित हुआ है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें एक से अधिक पद/विषय हेतु प्रवेश-पत्र जारी हुआ है, वे "छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान" पेपर में किसी भी एक विषय के प्रवेश-पत्र के साथ केवल उस प्रवेश-पत्र पर दर्शित परीक्षा केन्द्र से ही सम्मिलित हो सकते हैं।
- एक से अधिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय हेतु पृथक प्रवेश-पत्र जारी किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी प्रत्येक परीक्षा के दौरान अपने साथ समस्त प्रवेश-पत्र रखें।
- "छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान" तथा संबंधित विषय की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र पृथक-पृथक हो सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें एक से अधिक पद/विषय हेतु प्रवेश-पत्र जारी हुआ है, वे सहायक प्राध्यापक-2019 से संबंधित शुद्ध पत्र क्रमांक 12/2019 परीक्षा/दिनांक 23/11/2019 का भलीभांति अवलोकन करें एवं सुनिश्चित करें कि आप उन समस्त विषयों में पृथक-पृथक शैक्षणिक अर्हता रखते हों, जिनके लिए प्रवेश-पत्र जारी हुआ है, अन्यथा चयन के किसी भी स्तर पर आपकी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र की जाँच कर लें तथा कोई विषयगत पाए जाने पर तत्काल परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को सूचित करें। उक्त संदर्भ में भेजे जाने वाले अभ्यावेदन/पत्र में अपना आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम एवं वर्ष, श्रेणी तथा जन्मतिथि अवश्य लिखें।
- प्रवेश-पत्र पर दिए गये परीक्षा केन्द्र के पते के संबंध में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व आश्वस्त हो ले जिससे अभ्यर्थी को परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र खोजने में कोई परेशानी न हो। परीक्षा केन्द्र न मिल पाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रवेश पत्र तथा फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति के बिना किसी भी, अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, केवल निम्न फोटो पहचान पत्र ही मान्य किए जाएँगे - मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / आधार कार्ड / स्मार्ट कार्ड / (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा) / स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी) / जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत) / सेवा पहचान पत्र फोटोसहित / (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी) पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/डाकघर द्वारा जारी) / छात्र पहचान पत्र (स्कूल/कॉलेजों द्वारा जारी) / बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड / संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे - पट्टी, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र, (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) / फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित।
- जिन अभ्यर्थियों के नाम / सरनेम तथा फोटो पहचान पत्र में किसी भी प्रकार का अंतर है वे अपने नाम परिवर्तन सम्बन्धी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
- अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में परीक्षा प्रारम्भ होने के डेढ़ घंटा पूर्व उपस्थित हो, यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय के 15 मिनट पश्चात् परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होते हैं तो उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
- कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा रोजगार और नियोजन में प्रकाशित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित सहायक प्राध्यापक (उ. शि. विभाग) परीक्षा -2019 के विज्ञापन की कंडिकाओं के अंतर्गत संपादित की जाएगी।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने आयोग से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक पर ही बैठें एवं उपस्थिति पत्रक और उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें।
- ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका पर समस्त प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से करनी हैं, अतः अपने साथ अच्छी गुणवत्ता के दो नीले/काले बॉल पॉइंट पेन अवश्य रखें।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा, साथ ही आप के विरुद्ध दारिद्रिक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की काट-छांट करना, अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में किसी अन्य परीक्षार्थी से बात करना, इशारे करना, अन्य परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में ताक-झांक करना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अशुभ व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएँगे।
- परीक्षार्थी अपनी पुस्तिका कक्ष के वीक्षक के हाथ में ही सौंपें एवं उनकी अनुमति पश्चात् ही कक्ष छोड़ें।

13. जिन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन प्रवेश पत्र में उनके फोटो व/या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं, अनुपलब्ध है या अवैध है ऐसे अभ्यर्थी निम्न प्रक्रिया का अनुसरण करें :

(1) अपने ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर विहित स्थान पर अपना फोटो चिपकाकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराये।

(2) अपनी फोटो की एक प्रति साथ ले जाएँ। उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लीकेशन नम्बर एवं रोल नंबर अंकित करें, उक्त फोटो वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष को उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु सौंप दें।

(3) अपने साथ आवेदन पत्र की रसीद की प्रति (जो फार्म जमा करते समय प्राप्त हुई थी) ले जायें तथा मांगे जाने पर परीक्षक को प्रस्तुत करें।

14. मॉडल उत्तर, परीक्षा परिणाम तथा अन्य जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in का नियमित अवलोकन करें।

15. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के दौरान कैल्क्यूलेटर, लॉग टेबल, मोबाइल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

16. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व स्विच ऑफ कर पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा। यदि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई संचार साधन चालू अवस्था (ON) में पाया गया तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जायेगा चाहे अभ्यर्थी द्वारा उक्त साधन का प्रयोग किया गया हो अथवा नहीं।

17. केन्द्राध्यक्ष, वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

नोट-

1. सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क/फेस कवर के अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

2. सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अपने मास्क को हटाना होगा।

3. अभ्यर्थी अपने साथ हैण्ड सैनिटाईजर की छोटी पारदर्शी बॉटल रखें।

4. परीक्षा हॉल में एवं परीक्षा हॉल के बाहर अभ्यर्थियों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।

Controller of Examination
Chhattisgarh Public Service Commission
Raipur